न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 44/2018

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी
1. कैलाशचंद पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी निवासी पिपलियाखुर्द जैतारण जिला पाली (राज.)		1. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील - जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.07/02/2018**

उपस्थितः- 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-पिपलिया खुर्द, पटवार हल्का-पिपलिया खुर्द, भू0 अभिलेख निरीक्षक, जैतारण, जिला-पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 394 रकबा 3-13 बीघा, खसरा नम्बर 399 रकबा 12-19 बीघा, खसरा नम्बर 166 रकबा 11-07 बीघा खसरा नम्बर 174 रकबा 24-04 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादी का अपने पिता के हक हिस्सेनुसार पैतृक पुस्तैनी भूमि में हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड अनुसार निहित है तथा मौके पर काबिज काश्त है नकल जमाबंदी साथ पेश है। यह कि उक्त कृषि भूमि जो वादी को जरिये फौतेदगी नामान्तरणकरण के अपने पिता के फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के प्राप्त हुई तथा फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करते समय वादी का जगदीश जो बोलचाल की भाषा में कहा जाता है नाम दर्ज कर लिया गया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम कैलाशचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश है तथा वादी के सभी दस्तावेज में वादी का सही व वास्तविक नाम कैलाशचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश ही दर्ज है। परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड साथ पेश है तथा ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द द्वारा जारी प्रमाणपत्र में भी वादी का सही व वास्तविक नाम कैलाशचन्द पुत्र ओमप्रकाश सही नाम होने बाबत् प्रमाण पत्र दिया गया है। सम्पूर्ण दस्तावेज वादपत्र के साथ बतौर सबूत साथ पेश है। वादी का सही व वास्तविक नाम कैलाशचन्द पुत्र ओमप्रकाश खसरा नम्बर 329/468, 396/469, 396/470, 326, 327 के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम दर्ज है जिसके अनुसार ही वादी ने दिनांक 24.1.2018 को उक्त सहवन एवं लिपिकीय त्रुटिवश मानवीय भूल से दर्ज किया गया नाम जगदीश के स्थान पर सही व वास्तविक नाम जिसे सुधारने बाबत् पटवारी महोदय एवं तहसीलदार साहब जैतारण को सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ निवेदन कर प्रार्थनापत्र पेश किया एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उक्त राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने की अपने हक अधिकारों के तहत् निवेदन किया जिस पर कानूनी कार्यवाही एवं न्यायालय से आदेश करवाने बाबत् कथन किया गया जिस पर दिनांक 1.12.2018 को सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की है। वादी अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति में अपने गलत एवं बतौर रोंग एन्ट्री लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज एवं इन्द्राज हुए नाम जगदीश पुत्र ओमप्रकाश को हटवाने एवं उसके स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम कैलाशचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश दर्ज एवं इन्द्राज करवाने का हक अधिकारी होने एवं अपने सही व वास्तविक नाम की राजस्व रेकर्ड सुधरवाने का अधिकारी होने एवं इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी होने के कारण यह वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादी के सादर पेश है। यह प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है जिनके विरूद्व वादपत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वाद करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र पेश करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वाद के साथ पेश है। बिनाय दावा दिनांक 24.1.2018 को उक्त राजस्व रेकर्ड सुधारने एवं राजस्व रेकर्ड में अपने सही व वास्तविक नाम दस्तावेजानुसार इन्द्राज कराने बाबत् प्रार्थनापत्र तहसीलदार एवं पटवारी महोदय आदि को पेश करने पर कानूनी कार्यवाही करने एवं न्यायालय से आदेश करवाने बाबत् कथन करने पर बमुकाम पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज. में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकर एवं क्षैत्राधिकार में है।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज जगदीश के स्थान पर वास्तविक नाम कैलाशचन्द पुत्र ओमप्रकाश दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहते हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पिपलियाखुर्द में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में मौतबिरान लोगों ने बताया कि कैलाशचन्द को बचपन में जगदीश के नाम से पुकारते थे। अतः राजस्व रेकर्ड में जगदीश दर्ज हो गया। कैलाशचन्द एवं जगदीश एक ही व्यक्ति हैं। कैलाशचन्द ने सभी दस्तावेजात कैलाशचन्द के नाम से ही बनाये हुए हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि कैलाशचन्द एवं जगदीश एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड, पहचान पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत-पिपलियाखुर्द का प्रमाण-पत्र की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम कैलाशचन्द ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से जगदीश दर्ज नाम के स्थान पर कैलाशचन्द पुत्र ओमप्रकाश दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–पिपलिया खुर्द, पटवार हल्का–पिपलिया खुर्द, भू0 अभिलेख निरीक्षक, जैतारण, जिला–पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 394 रकबा 3–13 बीघा, खसरा नम्बर 399 रकबा 12–19 बीघा, खसरा नम्बर 166 रकबा 11–07 बीघा खसरा नम्बर 174 रकबा 24–04 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम जगदीश के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम कैलाशचन्द पुत्र ओमप्रकाश दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अदालत सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner